बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग-१—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

शुक्रवार, तिथि १२ जुलाई, १९७४

विषय-सूची

पृष्ठ.

प्रश्नों के लिखित उत्तर—बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम ४(II) के परन्तुक के अन्तर्गत प्रश्नोत्तरों को सभा मेज पर रखा जाना ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या—४१, ४२ एवं ९५ । .... १—८

तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या—२१६, ४०८, ६५७, ६५८, १०२१, १०२२, १०२३, १०२४, एवं १०२५ । .... ८—२३

परिशिष्ट—१ (प्रश्नों के लिखित उत्तर) : .... २४—६८

परिशिष्ट—२—षष्ठ बिहार विधान-सभा के अष्टम सत्र के ४३७ अनागत तारांकित प्रश्नों के उत्तर । .... ६९—५१४

परिशिष्ट—३ .... ५१५—५५१

दैनिक निबंध : .... ५५३—५५४

स्टेट बैंक आफ इण्डिया की शाखा जो नौगछिया में है, वह हालतक केवल पे-आफिस था अतः इसके द्वारा कृषि, हाथ करघा एवं अन्य लघु/मध्यम उद्योगों को कोई ऋण नहीं दिया गया है। अब जब कि यह शाखा में परिवर्तित किया गया है, कृषि एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराया जायगा।

श्री प्रभुनारायण राय—मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या बैंक और सरकारी पदाधिकारियों के बीच समन्वय के लिये कोई समिति बनी है?

श्री दारोगा प्रसाद राय—इस तरह की ओडिनेशन कमिटी हर जिले में है।

श्री प्रभुनारायण राय—यहाँ कोआडिनेशन कमिटी राष्ट्रीयकरण के बाद से कितनी बार बैठी है?

श्री दारोगा प्रसाद राय—यह तो आपने पूछा नहीं, तो इसकी सूचना कैसे लायी जाती।

श्री प्रभुनारायण राय—क्या भागलपुर में यह स्कीम चल रही है?

श्री दारोगा प्रसाद राय—सभी जिलों में यह स्कीम चल रही है।

निधि का भुगतान।

१०२१। **श्री रामवचन पासवान**—क्या मंत्री, उत्पाद विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि श्री रामकुमार सिंह सहायक अवर-निरीक्षक; उत्पाद, पटना, दिनांक ३१ दिसम्बर, १९७० को कार्यमुक्त हो गये;

(२) क्या यह बात सही है कि आज तक उनका पेंशन एवं भविष्य निधि का भुगतान नहीं किया गया है;

(३) क्या यह बात सही है कि श्री सिंह ने दिनांक १५ मार्च १९७४ को उत्पाद कमिश्नर के पास आवेदन-पत्र दिया है;

(४) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार श्री राम कुमार सिंह का पेंशन एवं भविष्य निधि का भुगतान करना चाहती है; यदि हा तो कब तक?

श्री नरसिंह बैठा—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) श्री सिंह ने दिनांक १५-३-७४ को नहीं बल्कि १६-४-७४ को आवेदन पत्र दिया है।

(४) उनके औपबन्धित पेंशन एवं उपादान का भुगतान अविलम्ब कर दिया

जायगा। इसके अतिरिक्त पेंशन के कागजात में त्रुटियों की कार्रवाई में शीघ्रता की जा रही है।

श्री रामवचन पासवान—अन्तिम भुगतान कब तक किया जायगा ?

श्री नरसिंह बैठा—करीब दस दिनों के अन्दर हो जायगा।

अध्यक्ष—१९७० में वे कार्यमुक्त हुए। तो इसमें इतना विलम्ब क्यों हुआ ?

श्री नरसिंह बैठा—इसको हमने एक्जामिन किया है। इसके कागजात आ गये हैं। चार छः महीना लग गया कागजात आने में। कागजात भेजने में जो देरी हुई है उसके लिये सम्बन्धित व्यक्तियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

ठीका देने का औचित्य।

१०२२। **ठाकुर कामख्या प्रसाद सिंह**—क्या मंत्री, उत्पादन विभाग-यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) बिहार राज्य अवस्थित देशी मध्य भंडागारों में आसवानगृह से शराब की आपूर्त्ति के लिये वर्ष १९७४-७७ के लिये निविदाओं की मांग किये जाने पर कुल कितनी निविदायें प्राप्त हुई थीं;

(२) खण्ड (१) में वर्णित निविदाओं में से कितनी निविदायां त्रुटिपूर्ण थीं और कितनी त्रुटिरहित थीं;

(३) क्या यह बात सही है कि त्रुटिरहित निविदाओं की दर कम रहने पर भी शराब आपूर्त्ति का ठीका उन निविदादाताओं को न देकर त्रुटिपूर्ण निविदादाताओं को दिया गया;

(४) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो किसके आदेश से उक्त ठीका दिया गया और इसका क्या औचित्य है ?

श्री नरसिंह बैठा—(१) कुल १५ निविदायें प्राप्त हुई थीं।

(२) ६ निविदायें त्रुटिपूर्ण थीं और ९ निविदायें त्रुटिरहित थीं।

(३) उत्तर नकारात्मक है।

(४) ठीका, सदस्य, राजस्व पर्षद् के आदेश से दिया गया है। चूंकि निविदा की शर्त्तों में एक शर्त्त यह थी कि सभी बातें समान होने पर ठीका उसी को दिया जायेगा जिन्हें अपना निजी आसवानगृह हो इसलिये आसवानगृह वाले कुल तीनों निविदादाताओं को ही ठीका दिया गया।